तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	
14-8-25	पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता उपस्थित वादी उपस्थित। तहसीलदार इन्द्रगढ़ द्वारा प्रस्तुत प्रमाणित बंटवारा रिपोर्ट शामिल पत्रावली किया गया। वादी को बंटवारा रिपोर्ट का अवलोकन कराया गया। वादी अधिवक्ता द्वारा सहमति प्रस्तुत की गई हस्ताक्षर आर्डरशीट पर करवाये गये। मुताबिक बंटवारा कमिश्नर रिपोर्ट तहसीलदार इन्द्रगढ़ वाद विषयक कृषि भूमि वाके ग्राम खरायता तहसील इन्द्रगढ़ के खाता सं 66 के खसरा सं 768/684 रकबा 0.91 है में से उत्तर की ओर रकबा 0.89 है कृषि भूमि मुताबिक नक्शा ट्रेस वादी अमन पटूना बालिग पुत्र लालचन्द पटूना जाति मेहतर निवासी — हरिजन बस्ती लाखेरी तहसील इन्द्रगढ़ के हिस्से में रहेगी तथा शेष प्रतिवादीगण 1 ता 19 के संयुक्त हिस्से में मुताबिक हिस्सा जमाबंदी रहेगी। तदानुसार अंतिम डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार हो प्रकरण दर्ज नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।	कोई आपत्ति नहीं है

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

अन्तिम डिक्री व मुकद्दमें इब्तदाई
(O 20, R 6,7)
(Civil Procedure Code, Appendix D)

1.अज अदालत ....उपखण्ड अधिकारी.. मुकाम............लाखेरी..........................
व इजलास.......श्री कैलाश चन्द गुर्जर(आर0ए0एस)..

अमन पटूना बालिग पुत्र लालचन्द पटूना जाति मेहत्तर निवासी नई हरिजन बस्ती लाखेरी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राजस्थान

—वादी

बनाम

1. कमला बालिग पुत्री छीतर जाती बैरवा निवासी ग्राम खरायता तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी वगै0

—प्रतिवादीगण

दावा बाबत 53,188 आर0टी0एक्ट

मुकदमा नम्बर 17 / दावा / 2024

सन् ....

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू .... हमारे..........व हाजिरी .....वादी अधिवक्ता श्री अब्दुल सत्तार ...... मिनजानिब मुद्दई रूबरू......................... मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुकुम दिया जाता है कि — वादी का वाद अन्तिम डिक्री किया जाता है मुताबिक बंटवारा कमिशनर तहसीलदार इन्द्रगढ़ रिपोर्ट के वाद विषयक कृषि भूमि वाके ग्राम खरायता भू0अ0निरीक्षक क्षेत्र लबान तहसील इन्द्रगढ़ के खाता संख्या नया 66 पुराना खाता संख्या 65 खसरा संख्या 167 रकबा 0.02है0, खसरा संख्या 454 रकबा 2.30है0, खसरा संख्या 476 रकबा 0.20है0, खसरा संख्या 478 रकबा 0.41है0 खसरा संख्या 483 रकबा 1.72है0, खसरा संख्या 538 रकबा 2.40है0, खसरा संख्या 68 रकबा 0.12है0, खसरा संख्या 72 रकबा 0.07है0, खसरा संख्या 768 / 684 रकबा 0.91है0 किता 9 योग 8.15है0 में से खसरा संख्या 768 / 684 रकबा 0.91है0 में से उत्तर की ओर रकबा 0.89है0 कृषि भूमि मुताबिक नक्शा ट्रेस वादी अमन पटूना बालिग पुत्र लालचन्द पटूना जाति मेहत्तर निवासी नई हरिजन बस्ती लाखेरी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राजस्थान के हिस्से में रहेगी तथा शेष कृषि भूमि प्रतिवादीगण 1 लगायत 19 के संयुक्त हिस्से में मुताबिक हिस्सा जमांबदी रहेगी। रहन संबंधी इन्द्राज यथावत जमाबंदी रहेगा।

निज.......................................मुबलिग...बाबत...खर्चा इन मुकद्दमें के मय सूद बशूरह ....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....का अदा करें।

सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 14 माह 08 सन् 2024 को जारी की गई।

दस्तखत उपखण्ड अधिकारी

ओहदा लाखेरी (बूंदी)

मुहर

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुद्दायलह	रूपया	पैसे
1.स्टाम्प अर्जीदावा			1.स्टाम्प अर्जीदावा		
2.स्टाम्प वकालतनामा			2.स्टाम्प अर्जी		
3.स्टाम्प वजह सबूत			3.महनताना वकील		
4.महनताना वकील			4.खर्चा गवाहॉन		
5.खर्चा गवाहॉन			5.फीस कमिश्नर		
6.फीस कमिश्नर			6.बाबत इजराय हुक्मनामा		
7.बाबत इजराय हुक्मनामा			7.मुत्तफरिक		
मीजान			मिजान		

नोट :— इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरिकेन का चाहे ड्रिक्री के जरिये दिखाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

बनाम

1. कमला बालिग पुत्री छीतर जाती बैरवा निवासी ग्राम खरायता तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0
2. गंगाबाई बालिग पुत्री मंगल्या जाती बैरवा निवासी ग्राम खरायता तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0
3. ग्यारसीबाई बालिग पुत्री धन्ना जाती बैरवा निवासी ग्राम खरायता तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0
4. देव्या बालिग पुत्र नाथ्या जाती बैरवा निवासी ग्राम खरायता तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0
5. दाखां बालिग पुत्री छीतर जाती बैरवा निवासी ग्राम खरायता तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0
6. बजरंगलाल बालिग पुत्र कंवरया जाती बैरवा निवासी ग्राम खरायता तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0
7. भरोसी बालिग पुत्री छीतर जाती बैरवा निवासी ग्राम खरायता तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0
8. भंवरलाल बालिग पुत्र कंवरया जाती बैरवा निवासी ग्राम खरायता तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0
9. मुकेश बालिग पुत्र धन्ना जाती बैरवा निवासी ग्राम खरायता तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0
10. मुकेश बालिग पुत्र छोटा जाती बैरवा निवासी ग्राम खरायता तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0
11. मूर्तिबाई पत्नी स्व0 बाबूलाल जाती बैरवा निवासी ग्राम खरायता तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0
12. मोहनलाल बालिग पुत्र धन्ना जाती बैरवा निवासी ग्राम खरायता तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0
13. मोहरपाल बालिग पुत्र धन्ना जाती बैरवा निवासी ग्राम खरायता तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0
14. रामघणी बालिग पुत्री छीतर जाती बैरवा निवासी ग्राम खरायता तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0
15. रामदेव बालिग पुत्र छीतर जाती बैरवा निवासी ग्राम खरायता तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0
16. रामनाथ पुत्र मंगल्या जाति बैरवा निवासी ग्राम खरायता तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0
    16/1 रामअवतार पुत्र रामनाथ जाति बैरवा निवासी ग्राम खरायता तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0
17. लटूरी बालिग पुत्री छीतर जाति बैरवा निवासी ग्राम खरायता तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0
18. शिवानी बालिग पुत्री बाबूलाल जाति बैरवा निवासी ग्राम खरायता तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0
19. सुरज बालिग पुत्र बाबूलाल जाति बैरवा ग्राम खरायता तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0
20. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार साहब इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0।

—प्रतिवादीगण

अधिकार
नाथेरी (बून्दी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लाखेरी जिला–बून्दी(राज0)

दावा संख्या 17 / 2024
दायरा दिनांक 03.04.2024

पीठासीन अधिकारी
श्री कैलाश चन्द गुर्जर(RAS)

बउनवान

अमन पटूना बालिग पुत्र लालचन्द जाति मेहतर निवासी ग्राम खरायता तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राजस्थान

–वादी

बनाम

1. कमला बालिग पुत्री छीतर जाती बैरवा निवासी ग्राम खरायता तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0
2. गंगाबाई बालिग पुत्री मंगल्या जाती बैरवा निवासी ग्राम खरायता तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0
3. ग्यारसीबाई बालिग पुत्री धन्ना जाती बैरवा निवासी ग्राम खरायता तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0
4. देव्या बालिग पुत्र नाथ्या जाती बैरवा निवासी ग्राम खरायता तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0
5. दाखां बालिग पुत्री छीतर जाती बैरवा निवासी ग्राम खरायता तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0
6. बजरंगलाल बालिग पुत्र कंवरया जाती बैरवा निवासी ग्राम खरायता तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0
7. भरोसी बालिग पुत्री छीतर जाती बैरवा निवासी ग्राम खरायता तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0
8. भंवरलाल बालिग पुत्र कंवरया जाती बैरवा निवासी ग्राम खरायता तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0
9. मुकेश बालिग पुत्र धन्ना जाती बैरवा निवासी ग्राम खरायता तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0
10. मुकेश बालिग पुत्र छोटा जाती बैरवा निवासी ग्राम खरायता तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0
11. मूर्तिबाई पत्नी स्व0 बाबूलाल जाती बैरवा निवासी ग्राम खरायता तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0
12. मोहनलाल बालिग पुत्र धन्ना जाती बैरवा निवासी ग्राम खरायता तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

13. मोहरपाल बालिग पुत्र धन्ना जाती बैरवा निवासी ग्राम खरायता तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0
14. रामघणी बालिग पुत्री छीतर जाती बैरवा निवासी ग्राम खरायता तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0
15. रामदेव बालिग पुत्र छीतर जाती बैरवा निवासी ग्राम खरायता तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0
16. रामनाथ पुत्र मंग्ल्या जाति बैरवा निवासी ग्राम खरायता तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0
    16/1 रामअवतार पुत्र रामनाथ जाति बैरवा निवासी ग्राम खरायता तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0
17. लटूरी बालिग पुत्री छीतर जाति बैरवा निवासी ग्राम खरायता तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0
18. शिवानी बालिग पुत्री बाबूलाल जाति बैरवा निवासी ग्राम खरायता तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0
19. सुरज बालिग पुत्र बाबूलाल जाति बैरवा ग्राम खरायता तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0
20. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार साहब इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0।

—प्रतिवादीगण

वाद विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 58,188 आ0टी0एक्ट

अधिवक्ता:— 1. श्री अब्दुल सत्तार (अधिवक्ता वादी)
2. प्रतिवादीगण 1 लगायत 20(अनुपस्थित)

दिनांक:—11.06.2024

निर्णय

संक्षेप तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वाद पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि जमाबंदी सम्तवत् 2074 से 2077 वाके ग्राम खरायता तहसील इन्द्रगढ़ में खाता संख्या नई 66 पुरानी 65 खसरा संख्या 167 रकबा 0.02है0, खसरा संख्या 454 रकबा 2.30है0, खसरा संख्या 476 रकबा 0.20है0, खसरा संख्या 478 रकबा 0.41है0 खसरा संख्या 483 रकबा 1.72है0, खसरा संख्या 538 रकबा 2.40है0, खसरा संख्या 68 रकबा 0.12है0, खसरा संख्या 72 रकबा 0.07है0, खसरा संख्या 768/684 रकबा 0.91है0 किता 9 योग 8.15है0 कृषि भूमि स्थित है। उक्त वाद वर्णित कृषि आराजी में वादी का हिस्सा 7/64 निहित है जो कि वादी ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से तत्कालीन खातेदारान क्रमशः कस्तुरीबाई पत्नी स्व0 गोपाल, कालीबाई उर्फ सुगनाबाई पुत्री छोटा, जितेन्द्र पुत्र गोपाल और संतोषबाई पुत्री गोपाल जातियान बैरवा निवासीगण खरायता से उनका सम्पूर्ण संयुक्त हिस्सा 7/64 भाग को क्रय किया था तथा नामान्तकरण संख्या 366 दिनांक 08.10.2021 से वादी का नाम बतौर सहखातेदार कृषक जमाबन्दी में दर्ज हुआ है। वक्त खरीद वादी को कब्जा

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

...रा संख्या 768/684 पर संभलाया गया था जो कि तत्कालीन खातेदारान निवासीगण ग्राम खरायता बाहमी बंटवारा पारिवारिक बंटवारे से प्राप्त थी और उसी जगह बतौर क्रेता वादी वर्तमान में काबिज काश्त कर रहा है। वादी को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र में भी कब्जा उक्त खसरा संख्या का देना अंकित है। वर्तमान में शान्तिपूर्ण ढंग से वादी उक्त खसरे पर काबिज है। दिनांक 20.03.2024 को सभी सहखातेदारान प्रतिवादीगण एकराय होकर आये तथा धमकी दी कि उक्त खसरा संख्या 768/684 पर से कब्जा छोड दो वरना तुम्हे जबरन बेदखल कर देगें तथा अभी भी रोज प्रताडित कर रहे है व बेदखल करने की धमकियां दे रहे है यही वाद का कारण है। वादी को अधिकार प्राप्त है कि खसरा संख्या 768/684 रकबा 0.8914है0 को अलग कर अपने खाते में दर्ज करवायें तथा उक्त खसरा संख्या पर प्रतिवादीगण 1 लगायत 21 को स्थायी निषेधाज्ञ से पाबंद करवायें। अन्त में वादी द्वारा निवेदन किया गया है कि उक्त वाद वर्णित कृषि आराजी वाके ग्राम खरायता पटवार हल्का खरायता तहसील इन्द्रगढ़ में से खसरा संख्या 768/684 रकबा 0.91है0 में से रकबा 0.8914है0 को वादी के नाम राजस्व रिकार्ड में अलग कर नक्शे में तरमिम करवाकर अलग से खाता कायम किया जावें।

वादी का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादीगण 1 लगायत 22 को सम्मन जारी कर तलब किया गया। प्रतिवादीगण 1 लगायत 3,5,6,8 लगयत 17, 19 लगायत 22 बावजूद सूचना न्यायालय में अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। वादी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10(2) एवं आदेश 22 नियम 2 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रतिवादी 4 व 7 के कायम मुकाम प्रतिवादी सं 4 चम्पाबाई पत्नी स्व0 छीतर बैरवा निवासी ग्राम खरायता व प्रतिवादी सं 7 पारी पत्नी मंगल्या जाति बैरवा निवासी ग्राम खरायता का नाम उनके वारिसान क्रमशः वादपत्र में प्रतिवादी संख्या 1,6,9,16,17,19 तथा 2,18 पहले से उपस्थित होने से उनका नाम डिलिट करने तथा प्रतिवादी संख्या 18 के का0मुकाम रिकार्ड पर लेने हेतु पेश हुआ। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 4,7 का नाम डिलिट किया गया तथा प्रतिवादी सं 18 के कायम मुकाम रिकार्ड पर लिए गए। वादी अधिवक्ता द्वारा पत्रावली में संशोधित शीर्षक पेश किया गया। पत्रावली में साक्ष्यवादी करवाये गये। वादी का साक्ष्य शपथ पत्र पेश हुआ। दस्तावेज प्रदर्श–1 जमाबंदी सम्वत् 2074–77, प्रदर्श–2 ऑनलाईन जमाबंदी नक्शा प्रदर्श करवाये गये। वाद पत्र में वादी अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस सुनी गयी। वादी अधिवक्ता द्वारा वाद पत्र में अंकित बिन्दूओं का दोहराव करते हुए वाद वर्णित कृषि आराजी वाके ग्राम खरायता पटवार हल्का खरायता तहसील इन्द्रगढ़ में से खसरा संख्या 768/684 रकबा 0.91है0 में से रकबा 0.8914है0 हिस्सा 7/64 का विधिवत बंटवारा किये जाने का निवेदन किया गया। बहस समाहत पत्रावली की गई।

हमारे द्वारा वादी के अधिवक्ता की बहस को सुना गया एवं बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपस्थित दस्तावेज का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादी के द्वारा प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सम्वत् 2074–77 के अनुसार वादी का हिस्सा 7/64 बतौर सहाखातेदार दर्ज राजस्व रिकार्ड है। पत्रावली में उपस्थित नामान्तकरण पंजिका की प्रतिलिपी के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वादी का नामान्तकरण रजि0 विक्रय पत्र व रिकार्ड अनुसार विक्रेता कस्तुरी बाई पत्नी स्व0 गोपाल, जितेन्द्र, वीरमपाल पुत्र गोपाल, संतोष बाई, मूर्ति बाई,

उपखण्ड अधिकारी
बाजेरी (बूंदी)

लीबाई उर्फ सुगनाबाई पुत्री छोटा, राजेन्द्र पुत्र छोटा जाति बैरवा ने अपना हिस्सा क्रेता अमन पटूना जाति मेहतर को बेचान किया है जिसके आधार पर नामांतकरण संख्या 366 दिनांक 08.10.2021 से जमाबन्दी में वादी के नाम हिस्सा 7/64 दर्ज किया गया है। वादी जमाबन्दी अनुसार 7/64 हिस्से का सहखातेदार दर्ज है। वादी द्वारा प्रत्येक सह खातेदार को अपना हिस्सा का विधिवत बंटवारा करवाने का कानूनन अधिकार प्राप्त है वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिक्री किया जाकर वाद विषयक कृषि भूमि खाता संख्या नया 66 पुराना खाता संख्या 65 खसरा संख्या 167 रकबा 0.02है0, खसरा संख्या 454 रकबा 2.30है0, खसरा संख्या 476 रकबा 0.20है0, खसरा संख्या 478 रकबा 0.41है0 खसरा संख्या 483 रकबा 1.72है0, खसरा संख्या 538 रकबा 2.40है0, खसरा संख्या 68 रकबा 0.12है0, खसरा संख्या 72 रकबा 0.07है0, खसरा संख्या 768/684 रकबा 0.91है0 किता 9 योग 8.15है0 कृषि भूमि वाके ग्राम खरायता पटवार हल्का खरायता तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी में निहित वादी का हिस्सा 7/64 का विधिवत बंटवारा किये जाने बाबत् तहसीलदार इन्द्रगढ़ को बंटवारा कमिश्नर नियुक्त किया जाता है तथा तहसीलदार इन्द्रगढ़ को निर्देश दिये जाते है कि उभपक्षों को तलब कर राजस्व मण्डल(बंटवारा नियम) 18 से 21 व धारा 53 आरटी एक्ट के प्रावधानों को मध्य नजर रखते हुए बंटवारा प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेस के तैयार कर न्यायालय हाजा में दिनांक 02–07–2024 से पूर्व भिजवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। रहन का इन्द्राज यथावत जमाबंदी रहेगा। बंटवारा कमिश्नर फीस 500/– रुपये नियत की जाती है जो वक्त बंटवारा वादीगण के द्वारा अदा की जावेगी। तदानुसार प्राथमिक पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय लिखवाया जाकर दिनांक 11–06–2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी(बून्दी)

प्राथमिक डिक्री व मुकद्दमें इब्तदाई
(O 20, R 6,7)
(Civil Procedure Code, Appendix D)

मुकाम............लाखेरी...........................

1.आज अदालत ....उपखण्ड अधिकारी..
व इजलास.......श्री कैलाश चन्द गुर्जर(आर०ए०एस)..

अमल पटूना बालिग पुत्र लालचन्द जाति मेहतर निवासी ग्राम खरायता तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी, राजस्थान

–वादी

बनाम

1. कमला बालिग पुत्री छीतर जाती बैरवा निवासी ग्राम खरायता तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी वगै0

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत 53,188 आर0टी0एक्ट

सन् ....

मुकदमा नम्बर 17/दावा/2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू .... हमारे..........व हाजिरी .....वादी अधिवक्ता श्री अब्दुल सत्तार ...... मिनजानिब मुद्दई रूबरू........................ मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुकुम दिया जाता है कि –

वादी का वाद प्राथमिक डिक्री किया जाता है तहसीलदार इन्द्रगढ को बंटवारा कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि उभयपक्षो को मौके पर तलबकर जमाबंदी सम्वत् 2074 से 2077 में वर्णित वाद विषयक कृषि भूमि खाता संख्या नया 66 पुराना खाता संख्या 65 खसरा संख्या 167 रकबा 0.02है0, खसरा संख्या 454 रकबा 2.30है0, खसरा संख्या 476 रकबा 0.20है0, खसरा संख्या 478 रकबा 0.41है0 खसरा संख्या 483 रकबा 1.72है0, खसरा संख्या 538 रकवा 2.40है0, खसरा संख्या 68 रकबा 0.12है0, खसरा संख्या 72 रकबा 0.07है0, खसरा संख्या 768/684 रकबा 0.91है0 किता 9 योग 8.15है0 कृषि भूमि वाके ग्राम खरायता पटवार हल्का खरायता तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी में निहित वादी का हिस्सा 7/64 का विधिवत बंटवारा किये जाने करते हुए राजस्व मण्डल(बंटवारा नियम) 18 से 21 व धारा 53 आरटी एक्ट के प्रावधानों को मध्य नजर रखते हुए बंटवारा कर बंटवारा प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेस के तैयार कर न्यायालय हाजा में दिनांक 02–07–2024 से पूर्व भिजवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। रहन का इन्द्राज यथावत जमाबंदी रहेगा। बंटवारा कमिश्नर फीस 500/– रुपये नियत की जाती है।

निज.......................................मुबलिग..बाबत...खर्चा इन मुकद्दमें के मय सूद बशरह ....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....का अदा करें।

सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 11 माह 06 सन् 2024 को जारी की गई।

दस्तखत

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी(बून्दी)

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी(बून्दी)

मुहर

ओहदा

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुद्दायलह	रूपया	पैसे
1.स्टाम्प अर्जीदावा			1.स्टाम्प अर्जीदावा		
2.स्टाम्प वकालतनामा			2.स्टाम्प अर्जी		
3.स्टाम्प वजह सबूत			3.महनताना वकील		
4.महनताना वकील			4.खर्चा गवाहॉन		
5.खर्चा गवाहॉन			5.फीस कमिश्नर		
6.फीस कमिश्नर			6.बाबत इजराय हुक्मनामा		
7.बाबत इजराय हुक्मनामा			7 मुत्ताफरिक		
मीजान			मीजान		

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरिकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिखाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

अमन पटूना बालिग पुत्र लालचन्द जाति मेहतर निवासी ग्राम खरायता तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी

बनाम

1. कमला बालिग पुत्री छीतर जाती बैरवा निवासी ग्राम खरायता तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0
2. गंगाबाई बालिग पुत्री मंगल्या जाती बैरवा निवासी ग्राम खरायता तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0
3. ग्यारसीबाई बालिग पुत्री धन्ना जाती बैरवा निवासी ग्राम खरायता तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0
4. देव्या बालिग पुत्र नाथ्या जाती बैरवा निवासी ग्राम खरायता तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0
5. दाखां बालिग पुत्री छीतर जाती बैरवा निवासी ग्राम खरायता तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0
6. बजरंगलाल बालिग पुत्र कंवरया जाती बैरवा निवासी ग्राम खरायता तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0
7. भरोसी बालिग पुत्री छीतर जाती बैरवा निवासी ग्राम खरायता तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0
8. भंवरलाल बालिग पुत्र कंवरया जाती बैरवा निवासी ग्राम खरायता तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0
9. मुकेश बालिग पुत्र धन्ना जाती बैरवा निवासी ग्राम खरायता तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0
10. मुकेश बालिग पुत्र छोटा जाती बैरवा निवासी ग्राम खरायता तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0
11. मूर्तिबाई पत्नी स्व0 बाबूलाल जाती बैरवा निवासी ग्राम खरायता तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0
12. मोहनलाल बालिग पुत्र धन्ना जाती बैरवा निवासी ग्राम खरायता तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0
13. मोहरपाल बालिग पुत्र धन्ना जाती बैरवा निवासी ग्राम खरायता तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0
14. रामघणी बालिग पुत्री छीतर जाती बैरवा निवासी ग्राम खरायता तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0
15. रामदेव बालिग पुत्र छीतर जाती बैरवा निवासी ग्राम खरायता तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0
16. रामनाथ पुत्र मंग्ल्या जाति बैरवा निवासी ग्राम खरायता तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0

16/1 रामअवतार पुत्र रामनाथ जाति बैरवा निवासी ग्राम खरायता तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0

17. लटूरी बालिग पुत्री छीतर जाति बैरवा निवासी ग्राम खरायता तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0
18. शिवानी बालिग पुत्री बाबूलाल जाति बैरवा निवासी ग्राम खरायता तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0
19. सुरज बालिग पुत्र बाबूलाल जाति बैरवा ग्राम खरायता तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0
20. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार साहब इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0।

–प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)